<u>कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी</u>

<u>प्रेस-नोट</u>

<u>दिनांक:-16.10.2025</u>

<u>विषय:-</u> <u>"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अभियुक्त सचिन कुमार राजभर को चोरी से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम 02 वर्ष तक के कारावास की सजा व कुल 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।</u>

थाना-सिगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 129/2024, धारा-379, 411,413 भादवि व मु0अ0सं0-130/2024 , धारा- 41,411,413 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त **सचिन राजभर पुत्र स्व0 रामजीत राजभर निवासी संकट मोचन , राजभर बस्ती थाना लंका वाराणसी** को <u>थाना-सिगरा</u> पुलिस व <u>मॉनीटरिंग सेल</u> के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 16.10.2025 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को अधिकतम 02 वर्ष तक के कारावास की सजा व कुल 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जेल में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी। अर्थदण्ड न अदा करने पर अधिकतम कुल 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी